103

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2181–दो/2001 विरूद्ध आदेश, दिनाक 31–8–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 12/97–98/अपील.

1 छुटकोई पुत्र पोथीराम
2 फोदल पुत्र अंगद
निवासीगण ग्राम गुलालपुरा मजरा सगरा
तहसील भिण्ड

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 छुटई पुत्र सुखवासी
2 बालकराम पुत्र मनोहर
3 शिवनारायण पुत्र पन्नालाल
4 तुलाराम पुत्र हरकिशन
समस्त निवासीगण ग्राम सगरा
तहसील व जिला भिण्ड
5 कल्ले पुत्र अमान
6 गुन्दी फोत वारिस
अ रामसिया)पुत्रगण गुन्दी
ब पप्पू)
स श्रीमती रामपुरावाली पत्नी गुन्दी
7 महिला मंगली पुत्री सुखवासी
8 चिन्टी पुत्र मनोहर
9 रामाज्ञा फोत वारिस
अ कमल सिंह
ब मुलायम सिंह
स रविन्द्र सिंह
10 राधेश्याम

11 रामकिशन
कमांक 10 एवं 11 पुत्रगण पन्ने
12 ललिता बेवा पन्ने
13 सुरेन्द्र)
14 नरोत्तम) पुत्रगण छोटे
15 कुंअरपाल)
16 केदार पुत्र गोरेलाल
17 बालेश्वर पुत्र हजूरी
18 गेंदालाल)पुत्रगण श्री पाल
19 भैरों)
20 मेवालाल फोत वारिस
अ राजेन्द्र) पुत्रगण मेवालाल
ब वीरेन्द्र)
स कांसाबाई पत्नी मेवालाल
21 जगन फोत वारिस लाली पुत्री जगन
निवासी लालोरी तहसील भिण्ड
22 डिल्लीराम पुत्र ग्यादीन
निवासी ग्राम गुलालपुरा मौजा सगरा तहसील भिण्ड
23 नेमा पुत्री मनोहर
24 गोरेलाल फौत वारिस केदार पुत्र गोरेलाल
निवासीगण गुलालपुरा तहसील भिण्ड

–अनावेदकगण

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 12/97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 31–8–2001 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सगरा तहसील भिण्ड में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 1651/1 रकबा 1.996 हैक्टेयर में से भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने बाबत आवेदन पत्र गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 07/89–90/अ–46 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 18–3–1996 से राजीनामा के आधार पर गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–96 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा किये जाने के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 72/96–97/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 6–10–97 से गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुये अपील को अवधि बाह्य मान कर निरस्त की गयी । उक्त आदेश से व्यथित होकर गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक 12/97–98/अपील पर दर्ज की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–97 निरस्त करते हुये उनके समक्ष प्रस्तत अपील को अवधि के अन्दर मान्य करते हुये प्रकरण का निराकरण करने के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2001 से दुखी होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम सगरा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 1651/1 रकबा 1.996 हैक्टेयर में से रकबा 0.627 हैक्टेयर पर कब्जे के आधार पर छुटकाई पुत्र पोथीराम को रकबा 0.261 फोदल पुत्र अंगद को रकबा 0.261 हैक्टेयर तथा जगन पुत्र ग्यादीन को रकबा 0.105 हैक्टेयर पर भूमिस्वामी घोषित किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर गैर निगरानीकर्ता कमांक 1 लगायत 4 के द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 72/96–97/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 6–10–07 से अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दी गयी । गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 लगायत 4 के द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 31–8–2001 से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये अपील अवधि के अन्दर मान्य करते हुये प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर निराकरण के लिये प्रत्यावर्तित की गयी । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2001 से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

5/ अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा गैर निगरानीकर्ता कमांक 1 लगायत 4 के द्वारा की गयी अपील को केवल अवधि विधान की धारा 5 पर ही निराकृत की है । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड को यह निर्देश दिये गये है कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि के अन्दर मान्य करें तथा प्रकरण का निराकरण उभयपक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणदोष के आधार पर करें । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण मेरिट के आधार पर नहीं किया गया है । जबकि निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में अंतिम तर्क किये गये हैं । अवधि के बिन्दु पर मौन रहे हैं । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर विनिश्चित किये जाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड को प्रतिप्रेषित किया गया है, अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड को इसी प्रकरण का अंतिम विनिश्चय किया

जाना है, जहां निगरानीकर्तागण को साक्ष्य अथवा सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त है, वह अपनी बात तथा अपना पक्षसमर्थन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रख सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2001 विधिसम्मत है, यथावत् रखा जाता है तथा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर